

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एरा0 )

वाद सं0 : 764 रान 2020

अनवान :-

1. जयसिंह पुत्र जोतराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मोहनलाल पुत्र जोतराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. जोतराम पुत्र नंदराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
2. बलराम पुत्र इन्द्राज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र इन्द्राज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
4. मोहनी पत्नी पृथ्वीसिंह जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
5. सन्दीप पुत्र पृथ्वीसिंह जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
6. राजेन्द्र पुत्र पृथ्वीसिंह जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
7. कान्ता पत्नी दाताराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
8. सुखराम पुत्र दाताराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
9. विमला पुत्री इन्द्राज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
10. गुडडी पुत्री जोतराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
11. कमला पुत्री जोतराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
12. सुमित्रा पुत्री जोतराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
13. चन्द्रमुखी पुत्री पृथ्वीसिंह जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
14. सुमन पुत्री पृथ्वीसिंह जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
15. सोमती पुत्री दाताराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88  
उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 20/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ढण्डेला बाराणी के खाता संख्या 104/91 की कुल 31.2490हैक् में से 5208/31249 हिस्सा यानी 5.208हैक् व रोही मौजा ढण्डेला बाराणी के खाता संख्या 287/90 की कुल 6.2600हैक् में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा जोततिया उर्फ जोतराम पुत्र नन्दराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा जोततिया उर्फ जोतराम पुत्र नन्दराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा जोततिया उर्फ जोतराम पुत्र नन्दराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सजरा खानदान के अनुसार बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 वादी की बहने/बुआ एवं पृथ्वीसिंह की पुत्रीय एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 यहिय के खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता जोततिया उर्फ जोतराम पुत्र नन्दराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 18 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 16 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 104/91 की कुल 31.2490 हैक् में से 5208/31249 हिस्सा यानी 5.208हक् व रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 287/90 की कुल 6.2600 हैक् में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा जोततिया उर्फ जोतराम पुत्र नन्दराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा जोततिया उर्फ जोतराम पुत्र नन्दराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा जोततिया उर्फ जोतराम पुत्र नन्दराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सजरा खानदान के अनुसार बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 वादी की बहने/बुआ एवं पृथ्वीसिंह की पुत्रीय एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 104/91 की कुल 31.2490 हैक् में से 5208/31249

अधिवक्ता अधिकारी  
बोहर

हिस्सा यानी 5.208हैव व रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 287/90 की कुल 6.2600हैव में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग व पूर्व की जमाबन्दीयों के अनुसार वाद भूमि जोततिया उर्फ जोतराम पुत्र नन्दराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा जोततिया उर्फ जोतराम पुत्र नन्दराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा जोततिया उर्फ जोतराम पुत्र नन्दराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 104/91 की कुल 31.2490हैव में से सयुक्त तौर से 5208/31249 हिस्सा यानी 5.208हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादीगण प्रत्येक 1/6, 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिव 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिव 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7, 8 बहिव 1/6 हिस्सा व रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 287/90 की कुल 6.2600हैव में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है दोनो खातों में में वादीगण प्रत्येक 1/36, 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिव 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिव 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7, 8 बहिव 1/36 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीय तकमील जाक्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)  
बीहड़

## पर्या डिक्री

( आर्डर 20. रूल 6-7 जाबदा दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

- 1 जयसिंह पुत्र जोतराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 2 मोहनलाल पुत्र जोतराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

- 1 जोतराम पुत्र नंदराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 2 बलराम पुत्र इन्द्राज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 3 धर्मपाल पुत्र इन्द्राज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 4 मोहनी पत्नी पृथ्वीसिंह जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 5 सन्दीप पुत्र पृथ्वीसिंह जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 6 राजेन्द्र पुत्र पृथ्वीसिंह जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 7 कान्ता पत्नी दाताराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 8 सुखराम पुत्र दाताराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 9 विमला पुत्री इन्द्राज जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 10 गूडडी पुत्री जोतराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 11 कमला पुत्री जोतराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 12 सुमित्रा पुत्री जोतराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 13 चन्द्रमुखी पुत्री पृथ्वीसिंह जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 14 सुमन पुत्री पृथ्वीसिंह जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 15 सोमती पुत्री दाताराम जाति बाल्मिकी निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर।
- 16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 764 सन 2020 निर्णय दिनांक- 20/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 104/91 की कुल 31.2490 हैक में से सयुक्त तौर से 5208/31249 हिस्सा यानी 5.208 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादीगण प्रत्येक 1/6, 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिव 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिव 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7, 8 बहिव 1/6 हिस्सा व रोही मौजा ढण्डेला बारानी के खाता संख्या 287/90 की कुल 6.2600 हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है दोनो खातों में में वादीगण प्रत्येक 1/36, 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिव 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिव 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7, 8 बहिव 1/36 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्या डिक्री आज दिनांक 20/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
नोहर